आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई टिप्पणी

विविध अपील वाद संख्याः– 239/04–05
213/10–11

वादी पक्ष :– श्री शक्ति राय

बनाम्

प्रतिवादी पक्ष :– श्री विनोद रविदास वगैरह

अधिवक्ता वादी पक्षः श्री भुनेश्वर चौधरी,

अधिवक्ता प्रतिवादी पक्ष : जय कुमार नारायण सिंह

आदेश

13-2-12

अभिलेख उपस्थापित। शक्ति राय, पिता स्व0 बद्री राय, साकिन मारूडीह, थाना देवरी, जिला गिरिडीह के द्वारा मौजा मारूडीह थाना नं. 177 खाता नं. 37 प्लॉट नं. 45 रकवा 1.06 एकड़ के साथ आरम्भ हुआ । विद्वान् अंचल अधिकारी देवरी के द्वारा पेमाइश किये जाने के उपरांत पाया कि प्रश्नगत भूमि आवेदक के परदादा पियारी राय के नाम से खतियान में दर्ज है, जिसमें बिक्री के उपरान्त वादी को 54 डी0 भूमि शेष है जिसे विनोद रविदास पिता बंशी रविदास द्वारा कब्जा किया गया है।

विद्वान् अंचल अधिकारी, देवरी द्वारा दोनों पक्षों को नोटिस किये जाने तथा द्वितीय पक्ष के द्वारा उपस्थिति नही होने के कारण प्रथम पक्ष को उचित न्याय हेतु अद्योहस्ताक्षरी के न्यायालय में अग्रसारित कर दिया गया है।

दोनों पक्षो के द्वारा वकालतनामा सहित उपस्थिति देने के उपरांत विभिन्न तिथियों में सुनवाई हेतु निर्धारित किये जाने के बावजूद द्वितीय पक्ष लगातार अनुपस्थित चले आ रहे है। द्वितीय पक्ष के द्वारा कारण पृच्छा भी दाखिल नहीं की गई है। प्रथम पक्ष के विद्वान् अधिवक्ता को सुना उन्होने अपने दलील में बतलाया की खतियान के अनुसार प्रश्नगत भूमि वादी के परदादा पियारी राय वगैरह के नाम दर्ज है साथ ही प्रश्नगत प्लॉट के कैफियत कॉलम में बकब्जे पियारी राय दर्ज किया गया है। विद्वान् अंचल अधिकारी, देवरी के द्वारा पेमाइश हेतु अमीन की नियुक्ति हुई। पेमाइश के दरम्यान पाया गया कि वादी के पिता बद्री राय के द्वारा खाता नं. 37, प्लॉट नं. 45 में रकवा 12 डी0 भूमि कमल रविदास तथा 40 डी0 जमीन विशुन राना वगैरह के साथ बिकी की गई है। शेष 54 डी0 जमीन विनोद रविदास पेशर बंशी रविदास, कमल रविदास वगैरह पिता ठकुरी रविदास, कार्तिक रविदास वगैरह पिता हुरो रविदास द्वारा कब्जा कर अपना मकान बना कर रह रहे है। उनके द्वारा बतलाया जाता है कि

13/2/12

उन्होने भूमि धरम राय, हुल्लास राय एवं अयोध्या राय जो वादी के संबंधी है से कय कर प्राप्त की गई है परन्तु इन संबंधियों का इस भूमि में न तो कोई सरोकार है न तो स्वत्वाधिकार परन्तु कब्जेदारों के द्वारा किसी प्रकार का कागजात प्रस्तुत नहीं किया गया है।

उपरोक्त स्थितियों, तथ्यों एवं विद्वान् अधिवक्ताओं के वक्तव्य के विवेचन से स्पष्ट है कि वादी का खतियानी रैयती भूमि है और कब्जेदार यह जानते है, चूँकि कब्जेदारों में कमल रविदास द्वारा 12 डी0 भूमि वादी के पिता से क्रय की गई है। उसके बावजूद उनके द्वारा अन्य संबंधियों से कय करने संबंधित बात तथ्य परक प्रतीत नही होती। प्रतिवादी की लगातार अनुपस्थिति यह भी साबित करती है कि उन्हे अपने कृत्य जो नियम संगत नही है की पूर्ण जानकारी है।

राजस्व न्यायालय की रैयती भूमि के संबंध में कार्रवाई करने की सीमा निर्धारित है। यह जानते हुए भी प्रतिवादीगण का आचरण नियमानुकूल नहीं है फिर भी वादी को दखल दिहानी का आदेश नही दे सकते है। इस हेतु व्यवहार न्यायालय ही सक्षम न्यायालय है। जहॉ वे स्वत्वाधिकार के मामले दायर कर सकते है।

इस कथन सहित वाद को निष्पादित किया जाता है।

13/2/12

भूमि सुधार उप समाहर्त्ता,
गिरिडीह।

13/2/12

भूमि सुधार उप समाहर्त्ता,
गिरिडीह।